श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में दिनांक 10.11.2014 को आयोजित साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

यथा पंजी के अनुसार।

समीक्षोपरान्त बैठक में निम्न निदेश दिये गये :-

☞ **खाद्यान्न उठाव एवं वितरण** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण शत-प्रतिशत नहीं हुआ है। जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, पूर्णियाँ को निदेश दिया गया कि खाद्यान्न वितरण का शत-प्रतिशत वितरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनुभंडलवार लक्ष्य उठाव एवं वितरण संबंधी प्रतिवेदन सभी अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त कर आगामी साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में रखेंगे। सभी अनुमंडल पदाधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शत-प्रतिशत भंडार निर्गमणादेश किसी माह में निर्गत नहीं होता है। परिणामस्वरूप लक्ष्य के अनुरूप उठाव नहीं होने के कारण वितरण प्रभावित होता है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत S.I.O. निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

☞ **निर्वाचन** :-

a) बी0एल0ओ0 का फोटोग्राफ - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नवनियुक्त बी0एल0ओ0 का शत-प्रतिशत फोटोग्राफ प्राप्त नहीं हुआ है। 57-बायसी विधानसभा क्षेत्र का फोटोग्राफ अनुमंडल पदाधिकारी बायसी, 60-रूपौली विधानसभा क्षेत्र का फोटोग्राफ, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता धमदाहा एवं 61-धमदाहा विधानसभा क्षेत्र का फोटोग्राफ अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा के यहाँ लम्बित है। बी0एल0ओ0 का फोटोग्राफ शीघ्र निर्वाचन कार्यालय में जमा करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को दिया गया।

b) अक्षांश, देशांतर एवं भवन का छायाचित्र - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अक्षांश, देशांतर एवं भवन का छायाचित्र 56-अमौर विधानसभा क्षेत्र का भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बायसी एवं 57-बायसी विधानसभा क्षेत्र का अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी के यहाँ लम्बित है। उक्त प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करने का निदेश संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को दिया गया।

c) विशेष कैम्प में प्राप्त आवेदन पत्र - विशेष कैम्प में आवेदन प्राप्ति संबंधी प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी (59-बनमनखी विधानसभा क्षेत्र) एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, धमदाहा (60-रूपौली विधानसभा क्षेत्र) द्वारा अभी तक नहीं भेजा गया है। विशेष कैम्प प्राप्त आवेदन पत्र से संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करने का निदेश संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को दिया गया।

d) कॉमन सर्विस सेन्टर - कॉमन सर्विस सेन्टर से संबंधी प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी बायसी, अनुमंडल पदाधिकारी बनमनखी, अनुमंडल पदाधिकारी धमदाहा एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर पूर्णियाँ द्वारा नहीं भेजा गया है। कॉमन सर्विस सेन्टर से संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करने का निदेश संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को दिया गया।

e) लोकसभा चुनाव में कार्यालय व्यय की अधियाचना - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उक्त व्यय की अधियाचना रूपौली, श्रीनगर एवं के0नगर द्वारा अप्राप्त है। व्यय की अधियाचना से संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करने का निदेश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।

f) डुप्लीकेट ईपिक के विरूद्ध जमा राशि का प्रतिवेदन - डुप्लीकेट ईपिक के विरूद्ध जमा राशि का प्रतिवेदन सिर्फ बैसा एवं पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड से प्राप्त है। डुप्लीकेट ईपिक के विरूद्ध जमा राशि से संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करने का निदेश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।

निर्वाचन से संबंधित कार्यों के सुलभ समीक्षा हेतु निदेश दिया गया कि अनुमंडलवार निर्वाचन से संबंधित किये जाने वाले कार्य, निष्पादित कार्य एवं लम्बित कार्यों की सूची से संबंधित प्रतिवेदन प्रपत्र में तैयार कर समीक्षा हेतु समर्पित करने का निदेश उपनिर्वाचन पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।

☞ **एम0जे0सी0/सी0डब्लू0जे0सी0** :- समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा एवं वाद से संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि लम्बित M.J.C. एवं C.W.J.C. में शीघ्र प्रतिशपथ दायर करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। M.J.C. वाद में समय पर कारणपृच्छा दायर नहीं करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश प्राप्त होता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित पदाधिकारी की होगी। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

☞ **भूमि बेदखली अभियान :-** विगत साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में भूमि बेदखली अभियान के तहत् दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी लम्बित मामलों की सूची आगामी साप्ताहिक बैठक में निश्चित रूप से समीक्षा हेतु लाएंगे।

☞ **बिहार भूमि प्राधिकरण (B.L.T.)** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी भी बिहार भूमि प्राधिकरण के तहत् 18 मामला लम्बित है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा उक्त लम्बित वादों के निष्पादन हेतु शीघ्र यथोचित कार्रवाई करेंगे। अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ इस ओर निजी ध्यान देंगे।

☞ **लोक सेवा अधिकार अधिनियम (R.T.P.S.) :-** विगत साप्ताहिक बैठक में दिये गये निदेश के बावजूद भी आर0टी0पी0एस0 के तहत् Expired आवेदनों पर अपीलीय प्राधिकार-सह-भूमि सुधार उपसमाहर्त्ताओं द्वारा शत-प्रतिशत सुनवाई नहीं की जा रही है। सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ताओं एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि Expired आवेदनों के लिए शत-प्रतिशत अपीलीय वाद प्रारम्भ कर दोषी पदाधिकारी/कर्मियों के विरूद्ध आर्थिक दण्ड अधिरोपित करना सुनिश्चित करेंगे। आर0टी0पी0एस0 अधिनियम के तहत् समय पर आवेदकों को सेवा प्रदान नहीं करने के कारण State Ranking प्रभावित होता है। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने अधीनस्थ सभी प्रखंडों/अंचलों में Expired मामलों को शून्य कराना सुनिश्चित करेंगे। नोडल पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0 एवं जिला आई0टी0 प्रबंधक, पूर्णियाँ को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन कार्यालयवार Expired मामला से संबंधित प्रतिवेदन (Offline/Online सहित) अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे तथा Expiry मामलों में दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित करेंगे।

☞ **विभागीय कार्यवाही** :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पाँच मामलों में पूर्व के संचालन पदाधिकारी जिनका स्थानान्तरण हो चुका है उनके बदले नये संचालन पदाधिकारी नामित हो गये है। नये संचालन पदाधिकारी को संचालन हेतु निदेशित किया जा चुका है। दो मामलों में द्वितीय कारणपृच्छा पर सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित है। सभी संचालन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि शीघ्र जाँच कर संचालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

☞ **सेवान्त लाभ** :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि लम्बित सेवान्त लाभ के निष्पादन हेतु दिनांक 11.11.2014 को लम्बित सेवान्त लाभ से संबंधित पदाधिकारियों एवं प्रधान सहायकों का शिविर आयोजित किया गया है। स्थापना उपसमाहर्त्ता, पूर्णियाँ तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

☞ **भूदान/भू-हदबंदी के तहत् वितरित जमीन का निबंधन** - भूदान/भू-हदबंदी अधिनियम के अन्तर्गत वितरित जमीन का गलत ढंग से निबंधन करने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि निबंधन कार्यालयों एवं अंचल कार्यालयों में भूदान/भू-हदबंदी से वितरित जमीन का सही ब्यौरा संधारित नहीं है। जिला अवर निबंधक, पूर्णियाँ/अवर निबंधक, धमदाहा/अवर निबंधक, अमौर एवं सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि भूदान/भू-हदबंदी नियम से वितरित जमीन का अंचलवार पंजी संधारित कर पंजी सत्यापित कर रखेंगे। अवर निबंधक जमीन निबंधन के समय उक्त पंजी से मिलान कराकर एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही जमीन निबंधित करेंगे, ताकि भविष्य में भूमि विवाद का मामला उत्पन्न नहीं हो।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक ....2119..../स्था0, पूर्णियाँ दिनांक ..14/11/14..

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ/उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी0आर0डी0ए0, पूर्णियाँ/सभी प्रखंड के नोडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, पूर्णियाँ/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णियाँ/समाहरणालय पूर्णियाँ स्थित सभी प्रशाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/सभी अंचल अधिकारी, पूर्णियाँ जिला/सभी नोडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/जिला अवर निबंधक, पूर्णियाँ/अवर निबंधक, धमदाहा/अमौर/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/सभी परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/सभी रेफरल अस्पताल, पूर्णियाँ जिला एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), पूर्णियाँ/जिला आई0टी0 प्रबंधक, पूर्णियाँ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे बैठक की कार्यवाही को ई-मेल से संबंधित पदाधिकारी को भेजते हुए जिला के वेबसाईट पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

Rajesh.
13/11/2014
जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ।